प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 20.02.2025

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा रात्रि में बाहर खड़ी गाडियों से बैटरी चोरी करने वाले गिरोह के 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की हुई 16 बैटरी, चोरी करने में प्रयुक्त उपकरण व चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त 01 कार बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 19/20.02.2025 की रात्रि को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर रात्रि में बाहर खड़ी गाडियों से बैटरी चोरी करने वाले गिरोह के 03 अभियुक्तगण 1. परवेज पुत्र सद्दीक मलिक निवासी मकान नं0-87/01 गली नं0-02 पुराना मुस्तफाबाद थाना दयालपुर पूर्वी दिल्ली उम्र करीब 27 वर्ष, 2. बिलाल पुत्र इकबाल निवासी मकान नं0-2041 गली नं0-21 पुराना मुस्तफाबाद थाना गोकुलपुरी पुरानी दिल्ली उम्र करीब 23 वर्ष व 3. आसिफ पुत्र रहीसउद्दीन निवासी मकान नं0-305 गली नं0-3 पुराना मुस्ताफाद थाना गोकुलपुरी पुरानी दिल्ली उम्र करीब 32 वर्ष को वसुन्धरा सैक्टर 1 टी-पाईट से चोरी की हुई 16 बैटरी, चोरी करने में प्रयुक्त उपकरण व चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त 01 कार सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों की धारा 303(2),317(2),345(3) बीएनएस में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण: गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि यह लोग आई-10 गाड़ी की नम्बर प्लेट बदलकर रात्रि में घर के बाहर खड़ी गाडियों की रेकी कर व मौका पाकर उपकरणों के द्वारा गाडियों से बैटरी चोरी कर अपनी कार की डिक्की में रखकर फरार हो जाते और दिल्ली जाकर पहले वाली नम्बर प्लेट लगा देते थे, इन लोगों से बरामद कार की 16 बैटरी में से 05 कार की बैटरी को इन तीनों ने मिलकर दिनांक 17.02.2025 की रात्रि में एमजी होम्स सैक्टर 03 वसुन्धरा के सामने रोड़ पर खड़ी कार से चोरी की थी और शेष बैटरी दिनांक 11.02.2025 की रात्रि में सुबह के समय इन तीनों ने मिलकर सैक्टर 02 बी वसुन्धरा में मैट्रो पुल के नीचे खड़ी गाडियों से चोरी की थी। अन्य जगहों से भी इन लोगों ने बैटरी चोरी करने की घटनाओ को अंजाम दिया है। तीनों अभियुक्तगण उपरोक्त में से परवेज की कबाड की दुकान है, जिसमें ये लोग चोरी करने के बाद बैटरी रखते और कुछ दिन के बाद मौका देखकर चोरी की गयी बैटरी बेच देते और प्राप्त पैसों को आपस में बांट लेते थे तथा फर्जी नम्बर प्लेट व कार के बारे में पूछा गया तो बिलाल ने बताया कि यह कार मैने कुछ समय पहले 60 हजार रु0 में खरीदी थी जो अभी मैने अपने नाम नही कराई है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. परवेज पुत्र सद्दीक मलिक निवासी मकान नं0-87/01 गली नं0-02 पुराना मुस्तफाबाद थाना दयालपुर पूर्वी दिल्ली उम्र करीब 27 वर्ष।
2. बिलाल पुत्र इकबाल निवासी मकान नं0-2041 गली नं0-21 पुराना मुस्तफाबाद थाना गोकुलपुरी पुरानी दिल्ली उम्र करीब 23 वर्ष।
3. आसिफ पुत्र रहीसउद्दीन निवासी मकान नं0-305 गली नं0-3 पुराना मुस्ताफाद थाना गोकुलपुरी पुरानी दिल्ली उम्र करीब 32 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- चोरी की हुई 16 बैटरी, चोरी करने में प्रयुक्त उपकरण व चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त 01 कार बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास:-

- गिरफ्तार अभियुक्त परवेज पुत्र सद्दीक उपरोक्त के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर चोरी से सम्बन्धित 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
- गिरफ्तार अभियुक्त बिलाल पुत्र इकबाल उपरोक्त पर थाना इन्दिरापुरम पर चोरी से सम्बन्धित 02 व दिल्ली में चोरी व आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 05 अभियोग पंजीकृत है। कुल 07 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
- गिरफ्तार अभियुक्त आसिफ पुत्र रहीसउद्दीन उपरोक्त पर थाना इन्दिरापुरम पर चोरी से सम्बन्धित 02 अभियोग व दिल्ली में चोरी से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है। कुल 03 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-
थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा घरों का ताला तोड़कर चोरी करने वाला वाँछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये हुए 02 मोबाइल फोन, 04 पासपोर्ट व घटना में प्रयुक्त लोहे की चाकूनुमा कटर बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 12.02.2025 को थाना लिंकरोड़ पर वादी तरूण माहेश्वरी पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद माहेश्वरी निवासी ए-06 सूर्यनगर कॉलोनी थाना लिंकरोड जनपद गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी गयी कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरे घर का ताला तोड़कर 7,00,000/- रुपये नगद व 65 से 70 लाख रूपये के सोने व चांदी के आभूषण, 02 मोबाइल फोन चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना लिंकरोड पर धारा 305,331(4) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कराया था। जिसके क्रम में दिनांक 19.02.2025 को थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर की सूचना के आधार पर उक्त चोरी की घटना कारित को करने में प्रकाश में आये वाँछित अभियुक्त जमील पुत्र खलील निवासी म0न0 119 शास्त्री पार्क थाना उस्मानपुर दिल्ली उम्र करीब 28 वर्ष को कौशाम्बी बस स्टैण्ड के गेट नं0 01 के पास खाली पड़े मैदान के खुले गेट के पास से चोरी किये हुए 02 मोबाइल फोन, 04 पासपोर्ट व घटना में प्रयुक्त लोहे की चाकूनुमा कटर सहित गिरफ्तार किया गया। उक्त घटना कारित करने वाले 01 अन्य अभियुक्त रफीक पुत्र खलील उर्फ शहादत को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त जमील पुत्र खलील उपरोक्त के विरुद्ध धारा 305,331(4),3(5),317(2) बीएनएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त जमील पुत्र खलील उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त जमील व उसका भाई रफीक दोनों नशे के आदी है तथा अपना शौक पूरा करने के लिये घरों की रैकी करके मौका पाकर रात या दिन के समय में घरों के अन्दर चोरी की घटना को अंजाम देते है तथा पुलिस द्वारा पकडे जाने के डर से चोरी गये सामान को किसी दुकानदार या ज्वैलर्स को न बेचकर राह में आने जाने वाले व्यक्तियों को सस्ते दामों में बेच देते है। उनसे मिलने वाले रूपयों से अपना खर्चा व नशा आदि करते है। दिनांक 12.02.2025 की सुबह के समय मौके का फायदा उठाकर अभियुक्त जमील व उसके भाई रफीक पुत्र खलील उर्फ शहादत द्वारा साथ मिलकर सूर्यनगर कॉलोनी थाना लिंकरोड जो दिल्ली बार्डर से लगी हुई है के पास स्थित तीन मंजिला मकान में दीवार से कूदकर मकान का शीशे के दरवाजे का ताला तोडकर घर में घुसकर रूपये व सोने चाँदी व हीरे मोती आदि के आभूषण व अन्य सामान चोरी किये गये थे। चोरी के समय अभियुक्त रफीक पुत्र खलील उर्फ शहादत घर के बाहर ही दूर से आने जाने वाले राहगीरों व पुलिस की रैकी कर रहा था जिससे कोई खतरा होने पर यह दोनों मौके से बचकर भाग सके तथा जमील द्वारा घर के अन्दर कूद कर घटना कारित की गयी थी। चोरी करने के बाद यह दोनो वहाँ से

फरार हो गये। जिसमें अभियुक्त रफीक पुत्र खलील उर्फ शहादत को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त इन दोनों मोबाइल फोन को बेचने की फिराक में निकला था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-</u>
जमील पुत्र खलील निवासी म0न0 119 शास्त्री पार्क थाना उस्मानपुर दिल्ली उम्र करीब 28 वर्ष।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

- चोरी किये हुए 02 मोबाइल फोन, 04 पासपोर्ट व घटना में प्रयुक्त लोहे की चाकूनुमा कटर बरामद।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-</u>

- गिरफ्तार अभियुक्त जमील पुत्र खलील उपरोक्त के विरुद्ध थाना लिंकरोड़ पर चोरी करने व चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 01 अभियोग, थाना साहिबाबाद पर चोरी करने व चोरी का बरामद होने व माल छिपाने तथा आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 03 अभियोग, थाना टीलामोड़ पर चोरी करने व चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 02 अभियोग, थाना कोतवाली मथुरा व थाना गोविन्दनगर मथुरा में चोरी करने व चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 01-01 अभियोग पंजीकृत है। कुल 08 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>
थाना लिंकरोड पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा वादी के साथ मारपीट करने व वादी के भाई के ऊपर जान से मारने की नीयत से गाड़ी चढ़ाने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

<u>कार्यवाही का विवरणः-</u> दिनांक 17.02.2025 को थाना शालीमार गार्डन पर वादी श्री सजिंत पात्रा पुत्र नित्यानंद की तहरीर के आधार पर ECO कार सवार 03 अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के साथ मारपीट करते हुये वादी का सिर फोड़ देना एवं वादी के बड़े भाई पर जान से मारने की नियत से गाड़ी चढाकर वादी के भाई को घसीटते हुये ले जाकर चोटिल कर देने के सम्बन्ध में धारा 109/115(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक 20.02.2025 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा वादी के साथ मारपीट करने व वादी के भाई के ऊपर जान से मारने की नीयत से गाड़ी चढ़ाने वाले 02 अभियुक्त 1. हैप्पी कुमार पुत्र योगेन्द्र निवासी रसूलपुर साकलपुट्टी थाना चांदीनगर जिला बागपत उम्र करीब 25 वर्ष व 2. सुनील कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी ईशाक नगर थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष को ईएसआई अस्पताल वाले चौराहे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त हैप्पी कुमार पुत्र योगेन्द्र व सुनील कुमार पुत्र ओमप्रकाश उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरणः-</u> गिरफ्तार अभियुक्त हैप्पी कुमार पुत्र योगेन्द्र व सुनील कुमार पुत्र ओमप्रकाश उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त उपरोक्त द्वारा दिनांक 16.02.2025 की रात्रि में सी 42 थाना शालीमार गार्डन में एक पान व बीडी की दुकान पर गए और अभियुक्त उपरोक्त ने वादी से बीडी मांगी चूँकि दुकान बन्द करके जाने वाले थे इसीलिए वादी ने बीडी देने से मना कर दिया इसी बात पर गुस्सा होकर अभियुक्त उपरोक्त ने वादी के साथ मारपीट कर सिर फोड दिया और भागने लगे जिसपर वादी के बडे भाई द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को रोकने का प्रयास किया गया तो अभियुक्त उपरोक्त ने वादी के बडे भाई के ऊपर जान से मारने की नीयत से गाड़ी चढ़ा दी और घसीटते हुए आगे ले गए और मौके से भाग गए।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-</u>

1. हैप्पी कुमार पुत्र योगेन्द्र निवासी रसूलपुर साकलपुट्टी थाना चांदीनगर जिला बागपत उम्र करीब 25 वर्ष।
2. सुनील कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी ईशाक नगर थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त हैप्पी कुमार पुत्र योगेन्द्र व सुनील कुमार पुत्र ओमप्रकाश उपरोक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा 03 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से 01 चोरी की ई-रिक्शा बरामद।

दिनांक 16/02/25 को वादी श्री आकाश पुत्र श्री सरबजीत निवासी सैक्टर 9 शिवपुरी विजयनगर ने सूचना दी कि मेरा ई-रिक्शा UP 14 LT 7202 रोटरी गोल चक्कर के पास पुस्ता रोड से अज्ञात 03 चोरो द्वारा चोरी कर ली गयी है। उक्त सूचना पर तत्काला थाना नन्दग्राम पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण-- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, थाना स्तर पर टीमो का गठन कर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरो व लोकल इनपुट की मदद से दिनांक 20-02-25 को मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान 03 अभियुक्तगण को सिहानी रोड नन्दग्राम के पास से मय चोरी की ई-रिक्शा के गिरफ्तार किया गया, अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्तण का नाम व पता—

1. संदीप पुत्र राजकुमार निवासी म0न0-एफ-379 नियर टैम्पो स्टैण्ड नन्दग्राम थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद उम्र-35 वर्ष
2. सनी पुत्र संजय निवासी म0न0-एफ 616 ए नन्दग्राम थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष
3. रवि उर्फ काली पुत्र सुमेश निवासी म0न0-484 गली नं0-5 तीस फुटा रोड नन्दग्राम थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद उम्र-23 वर्ष

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

अभि0 रवि उर्फ काली के विरूद्ध थाना नन्दग्राम पर चोरी के 04 व गैंगस्टर एक्ट का 01 अभियोग कुल 05 अभियोग पंजीकृत है।

पूछताछ का विवरण-- गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगण संदीप,सनी व रवि उर्फ काली उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि हम नशे के आदि है, अपना नशे का शौक पूरा करने के लिए चोरी,जैसे अपराध कारित करते है।

बरामदगी का विवरण—

चोरी की ई-रिक्शा रजि नं0 UP 14 LT 7202

गिरफ्तारी करने वाली टीम--

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।

थाना निवाडी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 19.02.2025 को थाना निवाडी पर वादी ने तहरीर दी कि उसके ही गांव के एक लडके फरदीन ने वादी की पुत्री उम्र करीब 16 वर्ष को बहला-फुसलाकर अपने घर पर बुलाकर पिछले करीब 04 माह से कई बार गलत काम किया है। जिससे मेरी नाबालिग पुत्री करीब 2-3 माह की गर्भवती हो गयी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना निवाडी पर सुसंगत धारा-64 बीएनएस व 3/4 पोक्सो अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया।

तत्पश्चात थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त फरदीन पुत्र अरसद निवासी निवाडी गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं आटो रिक्शा चलाता हूँ, अपने पडौस में रहने वाली लडकी को बहला-फुसलाकर अपने घर के ऊपर बने कमरे में बुला लेता था तथा उससे पिछले करीब 04 महीने से शारीरिक संबंध बना रहा था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

फरदीन पुत्र अरसद निवासी निवाडी गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष,

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध थाना निवाडी पर उपरोक्त संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना निवाडी पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 20.02.2025 को थाना मोदीनगर पर आवेदिका द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त मोनू पुत्र हरिन्द्र निवासी गली न0 01 सारा रोड मानवता पुरी, गोविन्दपुरी मोदीनगर, गाजियाबाद के द्वारा मुझे काम दिलाने के बहाने फोन कर होटल में बुलाकर दुष्कर्म कर वीडियो बना लेना व ब्लैक मेल कर पुन: शारीरिक सम्बन्ध बनाने की मांग करना तथा जान से मारने की धमकी देना, जिस पर थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा तत्काल सुंसगत धारा-64(2)(M)/351(3) BNS में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफतारी हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त मोनू पुत्र हरिन्द्र निवासी गली न0 01 सारा रोड मानवता पुरी, गोविन्दपुरी मोदीनगर, गाजियाबाद को पन्त पार्क गोविन्दपुरी के सामने मैन रोड मोदीनगर गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं तथा पीडिता एक-दूसरे को अगस्त 2024 से जानते थे। फिर मैंने इसको काम देने के बहाने होटल में निवाडी रोड मोदीनगर में बुलाया और उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये, इसको डराया कि मैंने तेरी वीडियो बना ली है जब में बुलाऊ तब मेरे पास आ जाना, इसके द्वारा ऐसा ना करने पर मैने ब्लैक मेल कर इसको जान से मारने की धमकी दी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –

मोनू पुत्र हरिन्द्र निवासी गली न0 01 सारा रोड मानवता पुरी, गोविन्दपुरी मोदीनगर, गाजियाबाद उम्र – 23 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा वाहन चोरी करने वाले 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाईकिल बरामद।

दिनांक 19.02.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान वाहन चोर 02 अभियुक्तगण 1. सोनू पुत्र नाहर सिंह निवासी म0नं0 107 एफ ब्लाक , गड्ढे वाले डाक्टर के पास जवाहर नगर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष 2. आशू सिंह पुत्र अरविन्द सिंह निवासी म0सं0 234 एफ ब्लाक पूर्वी जवाहर नगर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष को चौकी क्षेत्र गुलाव वाटिका से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 01 चोरी की मोटरसाईकिल बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल धारा-317(2)/ 317(5) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ के दौरान बताया कि यह मोटर साईकिल हमने 20-25 दिन पहले यमुना विहार दिल्ली से चोरी की थी। जिसे हम बेचने के लिये ग्राहक तलाश रहे थे कि आपने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1.सोनू पुत्र नाहर सिंह निवासी म0नं0 107 एफ ब्लाक , गड्ढे वाले डाक्टर के पास जवाहर नगर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र 24 वर्ष।

2. आशू सिंह पुत्र अरविन्द सिंह निवासी म0सं0 234 एफ ब्लाक पूर्वी जवाहर नगर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र 26 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरूद्ध क्राइम ब्रान्च दिल्ली -ई- पुलिस स्टेशन एमवी थेफ्ट में वाहन चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है तथा चोरी का वाहन बरामदगी के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग

पंजीकृत किया गया है तथा अभियुक्त सोनू के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर चोरी/बरामदगी का 01 अभियोग तथा थाना लोनी बॉर्डर पर चोरी/बरामदगी के कुल 03 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

दिल्ली से चोरी की 01 मोटरसाईकिल बरामद।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम –

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दि0 14.12.24 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी गुलफाम पुत्र श्री शिब्बे अली निवासी पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद द्वारा धोखाधडी करके प्लाट देने के नाम पर 9,20,000/ रूपये हपड लेना तथा न ही प्लाट देना तथा ना ही पैसे वापस करना तथा पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में दी तहरीर पर अभियुक्तगण 1.मनोज कश्यप पुत्र सुखबीर निवासी फतियाबाद निठौरा थाना लोनी गा0बाद 2. कुलदीप पुत्र स्व0 सतपाल निवासी जस्सी गढी थाना लोनी गा0बाद 3. कपिल पुत्र पप्पु 4. सुखवीर पुत्र राजे निवासीगण फतियाबाद निठौरा थाना लोनी गा0बाद 5. मीर हसन पुत्र शाबुद्दीन उर्फनसीबुद्दीन निवासी फुस वाली, हसीन मस्जिद के पास अशोक विहार थाना लोनी गा0बाद के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर धारा 420/406/506/467/668/471/120 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात दिनांक 03.02.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त मीर हसन पुत्र शाबुद्दीन उर्फ नसीबुद्दीन नि0 फूस वाली, हसीन मस्जिद के पास अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 58 वर्ष को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

दिनांक 19.02.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र सुखबीर निवासी ग्राम निठौरा फतियाबाद थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 34 वर्ष को निठौरा मोड खडखडी रोड, चौकी क्षेत्र पुस्ता के सामने से गिरफ्तार किया गया। शेष अन्य अभियुक्तो की तलाश जारी है, विवेचना प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मेरे व मुकदमा उपरोक्त में नामित अन्य लोगों के द्वारा वादी गुलफाम से कूटरचित दस्तावेज तैयार करके प्लाट देने के नाम पर 9,20,000/- रूपये हडप ले गये, गुलफाम को ना तो रूपये ही लौटाये, ना ही उसको प्लाट पर कब्जा दिया गया।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त -

मनोज कुमार पुत्र सुखबीर निवासी ग्राम निठौरा फतियाबाद थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 34 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- आज दिनांक 20.02.2025 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 03 अभियुक्तगण 1. रवि यादव उर्फ विनय पुत्र शिवकुमार निवासी म0न0 ए-156 ए-ब्लाक टी-1 दिलशाद कॉलोनी थाना सीमापुरी

दिल्ली उम्र करीब 32 वर्ष, 2. जुनैद उर्फ जुन्नू पुत्र तसलीम निवासी मौहम्मदी मस्जिद बजीर खान चौक शहीदनगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष व 3. सुहैल पुत्र वरीस निवासी जयपाल चौक मौहम्मदी मस्जिद के पास शहीदनगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष को अग्रवाल स्वीट्स के पास गंदे नाले की पुलिया के पास से चोरी की 01 मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध धारा 317(2),317(5),3(5) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि यह मोटरसाइकिल अभियुक्तगण उपरोक्त ने करीब 01 माह पूर्व बी-ब्लाक दिलशाद गार्डन दिल्ली से चोरी की थी। तीने अभियुक्त नशे के आदी हैं और नशा करने के लिए चोरी व छिनैती की घटना कारित करते हैं। गिरफ्तार अभियुक्त सुहेल व जुनैद उपरोक्त दोनों ने बताया कि लगभग 01 महीने पहले आनन्द विहार दिल्ली से एक स्पलैण्डर मोटरसाइकिल चोरी करके एक मोबाइल फोन गेट न0-9 150 फुटा रोड शालीमार गार्डन से एक राह चलते लड़के से भी छीना था। जिसको हमने सीमापुरी दिल्ली में राह चलते एक अज्ञात व्यक्ति को 1,500/- रूपये में बेच दिया था और वह चोरी की मोटरसाइकिल सीमापुरी दिल्ली में रास्ते में खड़ी कर छोड़ दी थी। उसके 5-6 दिन बाद फिर हम दोनों ने एक स्कूटी शाहदरा से चुराई थी और इसी चुराई हुई स्कूटी से हम दोनों ने एक मोबाइल फोन मंगल पाण्डे चौक शालीमार गार्डन के पास से एक राह चलते लडके से फोन पर बात करते समय छीना था। जिस फोन को हम दोनों ने दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन दिल्ली के पास एक राह चलते अज्ञात व्यक्ति को 1,800/- रूपये मे बेच दिया था और वह चोरी की स्कूटी दिलशाद कॉलोनी के पास खडी कर छोडकर चले गए थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. रवि यादव उर्फ विनय पुत्र शिवकुमार निवासी म0न0 ए-156 ए-ब्लाक टी-1 दिलशाद कॉलोनी थाना सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 32 वर्ष।
2. जुनैद उर्फ जुन्नू पुत्र तसलीम निवासी मौहम्मदी मस्जिद बजीर खान चौक शहीदनगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष।
3. सुहैल पुत्र वरीस निवासी जयपाल चौक मौहम्मदी मस्जिद के पास शहीदनगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 01 अभियोग, थाना साहिबाबाद पर झपटमारी के सम्बन्ध में 04 अभियोग व थाना ई-पुलिस स्टेशन जनपद शाहदरा दिल्ली/ क्राइम ब्रांच दिल्ली पर चोरी व झपटमारी व चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 04 अभियोग पंजीकृत है। कुल 09 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।